संख्या : 1837 / जी0एस0 / शिक्षा / A3-74/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 02 नवम्बर, 2020**

महोदय,

कृपया कुलपति के अपने पत्र संख्याः 312 / मान्यता / के0यू0 / 2019–20 दिनांक 31 मई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर को मास्टर इन जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन एवं मास्टर इन एनिमेशन एण्ड डिजाइनिंग पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारंण का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति / पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि सम्बद्धता प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ यथा सम्भव एक माह के भीतर शीघ्र रखा जायेगा तथा कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करेगी तथा विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना से मा0 कुलाधिपति महोदया को अवगत करायेगा :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	मास्टर इन जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन	30 सीट	सत्र 2019–20
		मास्टर इन एनिमेशन एण्ड डिजाइनिंग	30 सीट	

1– विश्वविद्यालय संस्थान के मानक पूर्ण न होने की दशा में सम्बद्धता आदेश जारी नही करेगा एवं वस्तुस्थिति से मा0 कुलाधिपति महोदया को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1837 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A3-74 /2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।